

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 101/3110/

पटना, दिनांक 22.11.18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 04/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (कोटि नियंत्रण)  
पटना प्रमण्डल, पटना।

**विषय :-** मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0004-औद्योगिक समूहों की स्थापना विपत्र कोड 23-2852.80.102.0004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद में कुल राशि रू० 1,65,000/- (एक लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रू० 1,65,000/- (एक लाख पैसठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0004-औद्योगिक समूहों की स्थापना विपत्र कोड 23-2852.80.102.0004 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3 आवंटित राशि का मदवार विवरण निम्न सारणी के अनुरूप है :-

क्र० सं०	विषय शीर्ष/मद	राशि (रू०)
1	0004.01.01 वेतन	1,12,000
2	0004.01.03 जीवन यापन भत्ता	10,000
3	0004.01.04 मकान किराया भत्ता	18,000
4	0004.01.05 परिवहन भत्ता	8,000
5	0004.01.06 चिकित्सा भत्ता	2,000
6	0004.13.01 कार्यालय व्यय	15,000
7	योग	1,65,000

- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-  
 (क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।  
 (ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।  
 (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।  
 (घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 एवं मासिक CTMIS के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।  
 (च) 2018-19 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक आवश्यक भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 101/3170/

पटना, दिनांक 22.1.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 101/3170/

पटना, दिनांक 22.1.19

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरणा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।